on the Development of Backward Areas Report on 'Industrial Dispersal'.

ब्रिटिश सरकार द्वारा भगोड़े घोषित किए गए स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

487. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना के लिए अनुदान नीति के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति भी जिनके विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा वारण्ट जारी किए गए थे और जिनको भगोड़े घोषित किया गया था तथा ऐसे व्यक्ति भी, जिनके विरुद्ध नजरबन्दी के आदेश जारी किए गए थे परन्तु वे 6 महीने अथवा उतने समय के लिए भगोड़े रहे और ऐसे व्यक्ति भी जिनको एक जिले से दूसरे जिले में निष्कासित किया गया था, पेंशन पाने के हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में तथ्यों का सत्यापन करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्होंने 15 नवम्बर, 1981 तक पेंशन के लिए आवेदन पत्र दिये; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनको 15 नवम्बर, 1981 तक पेंशन मंजूर की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन योजना के लागू होने की तारीख 15-8-1972 से पेंशन के लिए पात्र समझा गया है ।

(ख) भूमिगत योजना, नजरबन्दी/निष्कासन के दावे के मामले में पेंशन योजना उदार बनाये जाने के परिणामस्वरूप दी जाने वाली छूट साक्ष्य के स्वरूप से सम्बन्धित है । पहले भूमिगत यातनाओं, नजरबन्दी/निष्कासन के ऐसे दावों को केवल कार्यालय अभिलेखों, से सिद्ध किया जाता था । पेंशन योजना को उदार बनाने के परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में छूट दी गई है जहां कार्यालय अभिलेखा अनुलब्धता के कारण नहीं मिल रहे हैं और अब राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संघर्ष के सम्बन्ध में 5 वर्ष अथवा अधिक कैद काटने वाले पुराने स्वतन्त्रता सैनानियों द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों को पर्याप्त समर्थक साक्ष्य समझा जाता है यदि सम्बन्धित राज्य सरकारें अथवा संघ शासित क्षेत्र स्वयं इस बात से संतुष्ट हैं कि सम्बन्धित अवधि के कार्यालय अभिलेखा उपलब्ध नहीं है और वे स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने के लिए मामले की सिफारिश करते हैं ।

(ग) तथा (घ) : स्वतन्त्रता सेनानियों की प्रत्येक श्रेणी के अलग से अभिलेख नहीं रखे गये हैं । परन्तु 1-8-1980 से जब से उदार योजना लागू हुई, 15 नवम्बर, 1981 तक प्राप्त हुए सभी श्रेणियों के आवेदनों की कुल संख्या और स्वीकृत किये गये आवेदनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत मामलों की संख्या
अन्डमान और निकोबार	20	16
आन्ध्र प्रदेश	8198	19
अरूणाचल प्रदेश	40	—
असम	7417	29
बिहार	28052	469
चंडीगढ़	36	8
दिल्ली	464	45
गोवा	780	30
गुजरात	625	38
हरियाणा	380	34
हिमाचल प्रदेश	246	24
जम्मू और कश्मीर	800	22
केरल	5711	16
कर्नाटक	3853	178
मध्य प्रदेश	1106	55
महाराष्ट्र	8701	165
मणिपुर	13	1
मेघालय	26	5
मिजोरम		
नागालैंड		
उड़ीसा	4594	135
पांडिचेरी	435	10
पंजाब	2027	153
राजस्थान	308	27
तामिलनाडु	2307	1 0
त्रिपुरा	318	35
उत्तर प्रदेश	1875	254
पश्चिम बंगाल	18508	151
आजाद हिन्द फौज	3888	1308
जोड़	102801	3342